NEWS CHANNELS LOOSE OUT TO OTT

News channels loosing revenue in the aftermath of the new guidelines

News channel are feeling the pinch and loss of revenues to the OTT players. They have lost out revenues to the tune of ₹ 10 - 20 crore per annum.

The removal of the news genre from OTT aggregator platforms such as Disney+ Hotstar, Zee5, Voot, SonyLiv among others will pinch the news channels hard as leading news broadcasters will lose out on the additional revenue and audience reach they were getting through licensing their feed and content on these streaming providers.

Aaj Tak was getting minimum fee of around ₹ 5 crore from a single OTT platform.

Other leading channels such as ABP, Zee and Republic among others are also paid by aggregators in the range of ₹ 3 crore to ₹ 5 crore annually per platform.

OTT platforms had decided to start removing news channels from their platforms. The streaming players said that the new IT rules, 2021, mandate that all content should be rated and there's no way they can rate news.

The new rules, however, say that news is not covered under the online curated content of the publishers but at the same time rules also say that all content need to be rated.

The OTT platforms said that unless clarified, the rules will be open to interpretation and the government must explicitly spell out that news need not be rated.

News Broadcasters Association (NBA) President Rajat Sharma had also written a letter to the government, saying that digital broadcast of TV news channels should not be covered under the new IT rules as TV news is already covered under various other rules and regulations, which they already follow. ■

ओटीटी पर उपलब्ध नहीं होंगे समाचार चैनल

नयी दिशा-निर्देश के चलते न्यूज चैनलों को राजस्व की हानि हो रही है।

ओटीटी प्लेटफार्म से न्यूज चैनलों को हटाने और राजस्व के नुकसान को महसूस कर रहे हैं। उन्हें सालाना **10** से **20** करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है।

ओटीटी एग्रीगेटर प्लेटफार्म जैसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जी **5**, वूट, सोनी लिव आदि से न्यूज वर्ग को हटाने से न्यूज चैनलों को मुश्किल होगी क्योंकि प्रमुख न्यूज ब्रॉडकास्टर्स अतिरिक्त राजस्व और दर्शकों तक पहुंच से वंचित रह जायेंगे, जो उन्हें अपनी फीड को लाइसेंस और स्ट्रीमिंग प्रदाताओं पर सामग्री देकर मिल रहा था। आजतक चैनल को सिंगल ओटीटी प्लेटफार्म से न्यूनतम **5** करोड़ रुपये की फीस मिल रही थी। एबीपी, जी और रिपब्लिक जैसे अन्य प्रमुख चैनलों को भी एग्रीगेटर्स द्वारा प्रति प्लेटफार्म **3** करोड़ रुपये से **5** करोड़ रुपये सालाना के हिसाब से भुगतान किया जाता है।

ओटीटी प्लेटफार्म ने न्यूज चैनलों को अपने प्लेटफार्म से हटाना शुरू करने का फैसला किया था। स्ट्रीमिंग कंपनियों ने कहा कि नये आईटी नियम **2021** में कहा गया है कि सभी सामग्री को रेट किया जाना चाहिए और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वे समाचार चैनलों को रेट कर सकें।

हालांकि नये नियम कहते हैं कि समाचार प्रकाशकों की ऑनलाइन क्यूरेट की गयी सामग्री के अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन साथ ही नियम यह भी कहते हैं कि सभी सामग्री को रेट करने की आवश्यकता है।

ओटीटी प्लेटफार्मों ने कहा कि जब तक स्पष्ट नहीं किया जाता है, नियम व्याख्या के लिए खुले रहेंगे और सरकार को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि समाचार को रेट करने की आवश्यकता नहीं है।

न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) के अध्यक्ष रजत शर्मा ने भी सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि टीवी न्यूज चैनलों के डिजिटल प्रसारण को नये आईटी नियमों के तहत कवर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि टीवी न्यूज पहले से ही कई अन्य नियमों व विनियमों के तहत कवर किया गया है, जिसका वे पहले से ही पालन कर रहे हैं। ■